तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **खेम सिंह जोधा बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 58/2022	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.04.2022	अपीलार्थी खेम सिंह जोध, निवासी ग्राम पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.01.2022 में (1) श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.4(6) स्टे.मो.गै./2010/जयपुर 09–09–2016 की पालना में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय पीपाड शहर के द्वारा सरकारी वाहन नम्बर आरजे 19 यूए 6723 का निवास से कार्यालय आने जाने हेतु वर्ष 2019–20 में राजकोष वेतन से प्रत्येक माह जमा करवाई गई राशि से सम्बंधित रजिस्टर/बिल स्टेटमेण्ट की नियमानुसार प्रति (2) अन्य बिन्दू से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:26:55 IST
Reason: SelfAttested